पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत बने नियम

परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता-निवारण नियम, 1965

पशु-क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 59) की धारा 38 (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरका यहां निम्नांकित नियम, उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित बनाती है – यथा :–

परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता – निवारण नियम, 1965

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) ये नियम परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम, 1965 कहलाएंगे।

(2) ये नियम किसी भी राज्य में उस दिन से प्रभावी होंगे जिसे राज्य-सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित कर तय करेंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ अन्यथा न जताएः–

(क) बड़ा बैल या बड़ा भैंसा का क्रमशः अर्थ ऐसे बैल या ऐसी भैंस से है जिसका वजन 350 किलोग्राम से अधिक हो।

(ख) मध्यम बैल या मध्यम भैंसा का क्रमशः अर्थ ऐसे बैल या ऐसी भैंस से है जिसका वजन 250 किलोग्राम से अधिक हो किन्तु 350 किलोग्राम से अधिक न हो।

(ग) छोटा बैल या छोटा भैंसा का क्रमशः अर्थ ऐसे बैल या ऐसी भैंस से है जिसका वजन 250 किलोग्राम से अधिक न हो।

(घ) मार्ग में सम्मिलित है कोई मार्ग, रास्ता, गली, नौक, संकरा मार्ग या आने-जाने का रास्ता, फिर चाहे वह सामान्य आवगमन का मार्ग हो या न हो परन्तु उस पर आम जनता को आवगमन का अधिकार हो।

(ङ) वाहन का अर्थ पहिए वाला वाहन, जो चाहे किसी भी वर्णन का हो परन्तु वह किसी भी मार्ग पर हाकने योग्य हो।

(2) उपधारा (1) के उपवाक्य (क), (ख), (ग) में किसी पशु का वजन निम्नांकित सूत्र से तय किया जाएगा।

$$\frac{\text{पशु की लंबाई X चौड़ाई (घेरा) सेंटीमीटर में}}{10838}$$

या

$$\frac{9\ [\text{सेंटीमीटर में लंबाई X सेंटीमीटर में चौड़ाई (घेरा)}^2]}{1,00,000}$$

3. परिवहन–पशुओं द्वारा खींचा जाने वाला अधिकतम भार :

(1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित तालिका के पहले कॉलम में वर्णित पशु द्वारा खीचे जाने वाले दूसरे कॉलम में वर्णित वाहन के द्वारा उसके समक्ष तीसरे कॉलम में दर्शाये गये वजन से अधिक वजन नही खिंचवा सकेगा।

	1	2	3
1.	छोटा बैल या	दो पहिया वाहन –	
	छोटा भैंसा	(क) बाल–बेरिंग कसा हुआ हो तो	1000 किलोग्राम
		(ख) हवावाले टायर लगे हो तो	750 किलोग्राम
		(ग) हवावाले टायर न लगे हो तो	500 किलोग्राम
2.	मध्यम बैल या	दो पहिया वाहन–	
	मध्यम भैंसा	(क) बाल–बेरिंग कसा हुआ हो तो	1400 किलोग्राम
		(ख) हवावाले टायर लगे हो तो	1050 किलोग्राम
		(ग) हवावाले टायर न लगे हो तो	700 किलोग्राम
3.	बड़ा बैल या	दो पहिया वाहन –	
	बड़ा भैंसा	(क) बाल–बेरिंग कसा हुआ हो तो	1350 किलोग्राम
		(ख) हवावाले टायर लगे हो तो	1350 किलोग्राम
		(ग) हवावले टायर न लगे हो तो	900 किलोग्राम
4.	घोड़ा या खच्चर	दो पहिया वाहन –	
		(क) हवावाले टायर हो तो	750 किलोग्राम
		(ख) हवावाले टज्ञयर न हो ाते	500 किलोग्राम
5.	टट्टू (पोनी)	दो पहिया वाहन –	
		(क) हवावाले टायर हो तो	600 किलोग्राम
		(ख) हवावाले टायर न हो तो	400 किलोग्राम
6.	ऊँट	दो पहिया वाहन	1000 किलोग्राम

(2) जहाँ वाहन चार पहियों वाला हो तो प्रत्येक दशा में, कॉलम 3 दर्शित भार का रावा गुना जाना जाए और यदि चार पहियों वाले वाहन में हवावाले टायर हो तो भार डेढ़ गुना जाना जाए।

(3) जहाँ वाहन, चाहे दो पहियोंवला हो या चार पहियोंवाला, कॉलम एक में वर्णित किसी भी प्रजति के दो पशुओं द्वारा चालित हो, तो उसके समक्ष उल्लेखित कॉलम 3 का भार दुगुना जाना जाए और यदि वाहन में हवावाले पहिए हो तो भार ढाई गुना जाना जाए।

(4) जहाँ वाहन को ऐसे मार्ग पर खींचना हो जिस की दूरी एक किलोमीटर से कम न हो और तीस मीटर की दूरी में चढ़ाव तीन मीटर से अधिक हो, उक्त तालिका में के कॉलम 3 में दर्शित भार, प्रत्येक प्रकरण में, दर्शित भार का आधा पढ़ा जाए।

स्पष्टीकरण – 1 इस नियम में दर्शित भार में वाहन का भार सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण – 2 इस नियम मे वर्णित भार में अपुर्णाक आंकड़ा ध्यान में नहीं लिया जाये।

4. कुछ भारवाहक पशुओं के लिए अधिकतम भार :

नीचे दी गई तालिका में कॉलम 1 में वर्णित पशु पर कॉलम 2 में दर्शित भार से अधिक भार कोई व्यक्ति नहीं लाद सकेगा :–

1		2	
1.	छोटा बैल या भैंसा	100	किलोग्राम
2.	मध्यम बैल या भैंसा	150	किलोग्राम
3.	बड़ा बैल या भैंसा	175	किलोग्राम
4.	टट्टू (पोनी)	70	किलोग्राम
5.	खच्चर	200	किलोग्राम
6.	गधा	50	किलोग्राम
7.	ऊंट	150	किलोग्राम

5. पशु–संचालित वाहनों में अधिकतम सवारियां :

नियम 3 के उप–नियम (1) में कॉलम 1 में वर्णित किसी पशु द्वारा खीचे वाले वाहन का प्रभारी व्यक्ति, चालक और 6 वर्ष से कम वय के बच्चों को छोड़कर, चार सवारियों से अधिक को वाहन में चढ़ने की अनुमति नहीं देगा।

6. भारवाहक और भार ढोने वाले पशुओं के संदर्भ में सामान्य शर्तें :

कोई भी व्यक्ति किसी वाहन को खींचने हेतु या भार ढोने हेतु

(1) कुल मिलाकर एक दिन में 9 घंटों से अधिक

(2) पशु को आराम दिए बिना लगातार पांच घंटों से अधिक

(3) जिन क्षेत्रों में तापमान 370 सेल्सियस (990 फरिनहाईट) से अधिक रहता हो वहाँ दोपहर को 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे के बीच

पशु को उपयोग में न लेगा, न लेने देगा।

7. कार्य पूर्ण होने पर पशु को छोड़ने हेतु

कोई भी व्यक्ति, वाहन खींचने वाले पशु को, कार्य पूरा होने के बाद, उस काम हेतु उसकी आवश्यकता न रहने पर, पशु को जोते नहीं रखेगा, न रखवाएगा।

8. नुकीली लकड़ी आदि के उपयोग पर प्रतिबंध

कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु की सवारी के लिए या हांकने के लिए या वाहन खींचने के लिए या अन्यथा अंकुश में रखने के लिए नुकीली पराळी या कांटोंवाली – दट्टावाली धूंसरी अथवा किसी भी आकार–प्रकार वाली उपसल अथवा तीखी आंतरी या ऐसा साधन जिससे पशु के शरीर पर निशान पड़े उसे क्षोभ हो, घाव हो, सूजन हो या भयंकर पीड़ा हो या इनमें से किसी के होने की संभावना हो, उपयोग में नहीं लेगा।

9. घोड़ों की ज़ीन

कोई भी व्यक्ति घोडे पर ऐसा ज़ीन नहीं डालेगा या नहीं डलवाएगा कि जो घोड़े की गरदन पर सीधे–सीधे आ जाए, गरदन की कपात और ज़ीन के बीच पर्याप्त अंतर रहे ऐसी ज़ीन ही डाली जा सकेगी।

10. भाररहित (खाली) वाहन के वजन संबंधी प्रमाणपत्र आदि

(1) इन नियमों के उद्देश्य से, भारतय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पशु–क्रूरता निवारण में या पशुओं के कल्याणार्थ कार्यरत किसीसंस्था को खाली वाहन, जा`उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया जाए, के वजन संबंधी प्रमाणपत्र वाहन–मालिक को जारी करने हेतु अधिकृत कर सकेगा और ऐसा जारी प्रमाणपत्र उस वाहन के वजन के पुरावे में मान्य होगा।

(2) किसी स्थानीय प्रशासन को तब प्रवर्तमान किसी कानून में ऐसे खाली वाहन के वजन निर्धारण, प्रमाणपत्र जारी करने या वाहन को बिल्ला देने हेतु प्रदत्त अधिकार को उक्त नियम कोई आंच नहीं पहुंचाएगा।

11. पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों की शक्तियां

(1) सिपाही (कॉन्स्टेबल) से उपर के पद का कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश से इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के पास यदि ऐसे विश्वास करने का कारण हो कि नियम 3 या 4 के विरूद्ध अपराध उक्त नियमों में वर्णित किसी पशु केसंबंध में हुआ या हो रहा है तो वह, ऐसी दशा मं कि जब तोलकांटा औचित्यपूर्ण दूरी पर हो, पशु के स्वामी या प्रभारी को, पशु या वाहन या दोनों को, पशु द्वारा खींचे जा रहे या ढोए जा रहे वजन के निर्धारण हेतु, तोलकाटे पर ले जा सकेगा।

(2) यदि उक्त वर्णित पशु–स्वामी या प्रभारी उक्त पुलिस अधिकारी या उक्त अधिकृत व्यक्ति की आज्ञा मानने से इंकार कर दे तो यह विधिमान्य होगा कि वह पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति उक्त पशु या वाहन या दोनों को, उक्त वर्णित उद्देश्य के लिए तोलकांटे पर ले जाए।

(3) जैसे ही इस नियम के अंतर्गत वजन निर्धारित हो जाए, उस पशु–स्वामी या प्रभारी को, पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के हस्ताक्षरवाला एक लिखित बयान (विवरण) प्रदान किया जाएगा जिस में निर्धारित वजन और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य जानकारी का उल्लेख होगा।

12. जहां स्थानीय उपनियम लागू हो वहां नियमों का प्रवर्तन

जिस किसी क्षेत्र में ये नियम प्रभावी हो उसमें यदि किसी स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्समय प्रभावी किसी कानून में नियमित नियम विनियमन या उप–नियमन प्रभावशाली हो जिसमें इन नियमों मे उल्लेखित विषयसामग्री हो तो ऐसे नियम, विनियम या उप–नियम, जिस सीमा तक

(क) इन नियमों तो देखते, पशुओं के लिए बेहतर प्रावधान करते हो तो उस सीमा तक वे लागू रहेगे।

(ख) यदि इन नियमों को देखते पशुओं के लिए न्यून प्रावधान करते हो तो वे उस सीमा तक लागू नही होगी।

(भारत सरकार के गजट भाग (2) विभाग 3 उपविभाग (2) में (भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय) क्रमांक 9–18/62 एल.डी दिनांक 23 मार्च 1965 को अधिसूचित)

---

* [अधिसूचना क्र. 34–2/67 एल.डी दिनांक 9–1 2–1 967 भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता (कृषि विभाग)]